मध्यप्रदेश शासन

परिवहन विभाग

विभागीय वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2014–2015

भोपाल
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय
2015

मध्यप्रदेश शासन
परिवहन विभाग
वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2014–2015

मंत्री	:	मान. श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर
प्रमुख सचिव	:	श्री प्रमोद अग्रवाल (दिनॉक 07.01.2015 तक)
	:	श्री मलय श्रीवास्तव (दिनॉक 08.01.2015 से)
उप सचिव	:	श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव
अवर सचिव	:	श्रीमती नीलू मरकाम
परिवहन आयुक्त	:	श्री संजय चौधरी (दिनॉक 25.10.2014 तक)
	:	श्री आर के जैन (प्रभारी दिनॉक 25.10.2014 से 18.12.2014 तक)
	:	डॉ. शैलेन्द्र श्रीवास्तव (दिनॉक 18.12.2014 से)
अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन)	:	श्री आर.के. चौधरी (दिनॉक 31.08.2014 तक)
	:	श्री आर. के. जैन (प्रभारी दिनॉक 01.09.2014 से 18.09.2014 तक)
	:	श्री विजय सूर्यवंशी (दिनॉक 18.09.2014 से)
अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन)	:	श्री एम.एस.डी. कनौडिया (प्रभारी सयुंक्त प.आ.दि0 14.02.2014 से 20.08.2014 तक)
	:	श्री आर.के. जैन (दिनॉक 20.08.2014 से)
संयुक्त परिवहन आयुक्त (वित्त)	:	श्री पी. के. शर्मा
अध्यक्ष, राज्य परिवहन	:	श्री एम.पी.अवस्थी

अपीलीय अधिकरण

अनुक्रमणिका

क्रमांक	भाग	विषय-वस्तु	पृष्ठ
01.	भाग-एक	01. विभागीय संरचना	1-2
		02. विभाग के अधीन निगम / मंडल एवं अन्य उपक्रम	2
		03. विभाग के दायित्व	3
		04 विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी	4-8
		05. प्रमुख विशेषताएं	8-13
		06. महत्वपूर्ण सांख्यिकी	13-14
02.	भाग-दो	01. बजट विहंगावलोकन	15-16
		02. बजय प्रावधान, लक्ष्य, व्यय (योजनावार)	16
03.	भाग-तीन	राज्य तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं—	**16**
		(अ) राज्य योजनाएं	16
		(ब) केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं	16
		(स) विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली योजनाएं	16
		(द) विदेशी सहायता प्राप्त योजनाएं / परियोजनाएं	16
		(ई) अन्य योजनाएं	16
04.	भाग-चार	सामान्य प्रशासकीय विषय जांच समितियां / किये गये अध्ययन	17
05.	भाग-पांच	अभिनव योजनाएं—	**18-27**
		(अ) विभाग द्वारा प्रारम्भ की गई योजनाएं	18-25
		(ब) विभाग द्वारा संचालन हेतु प्रस्तावित योजनाएं	26-27
06.	भाग-छः	विभागीय प्रकाशन	27
07.	भाग-सात	सारांश	27-35

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन
2014–2015

भाग–एक

01 विभागीय संरचना :–

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 213 एवं मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 के नियम 243 में विहित प्रावधान के अनुसार मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग का गठन किया गया है । परिवहन विभाग के मंत्री **माननीय श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर हैं**। विभाग में प्रमुख सचिव पद पर **श्री मलय श्रीवास्तव**, उप सचिव के पद पर **श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव** तथा अवर सचिव के पद पर **श्रीमती नीलू मरकाम** पदस्थ हैं।

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 68 की व्यवस्था अनुरूप परिवहन आयुक्त कार्यालय में ही **"राज्य परिवहन प्राधिकार"** संचालित है। प्रमुख सचिव परिवहन, राज्य परिवहन प्राधिकार के अध्यक्ष है। परिवहन आयुक्त एवं मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, ग्वालियर जोन इसके सदस्य हैं । प्राधिकार द्वारा अन्तर्राज्यीय मार्गों पर यात्री व माल परिवहन के लिये अनुज्ञा स्वीकृत किये जाते हैं। जनसुविधा की दृष्टि से प्राधिकार ने संयुक्त–परिवहन आयुक्त (प्रशासन) जो प्राधिकार के सचिव भी है, को अल्प अवधि के अनुज्ञा पत्र स्वीकृत करने के अधिकार प्रत्यायोजित किये हैं ।

प्रत्येक राजस्व संभाग में मोटरयान परिवहन की नीतियों के विनियमन एवं क्रियान्वयन की शक्तियाँ **'क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार'** का रूप में दी गई है जिसके अध्यक्ष उप परिवहन आयुक्त है व सदस्य संभागीय आयुक्त द्वारा नियुक्त संयुक्त कलेक्टर/उप आयुक्त तथा अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग हैं।

राज्य परिवहन प्राधिकार, व समस्त क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध अपील/रिव्हीजन की सुनवाई हेतु मध्यप्रदेश **"राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण"** का गठन किया गया है, जिसका मुख्यालय ग्वालियर में है । समीक्षावधि में **श्री एम.पी. अवस्थी,** मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा, अधिकरण के अध्यक्ष रहे हैं । वर्ष 1996 से अधिकरण के अध्यक्ष को विभागाध्यक्ष घोषित किया गया है ।

परिवहन विभाग में परिवहन आयुक्त, विभागाध्यक्ष हैं। जिनका मुख्यालय ग्वालियर में है। वर्तमान में **डॉ. शैलेन्द्र श्रीवास्तव,** भारतीय पुलिस सेवा, परिवहन आयुक्त के पद पर पदस्थ हैं। इनके द्वारा विभागीय दायित्वों का निष्पादन, क्रियान्वयन, संचालन एवं नियंत्रण अपने अधीनस्थ पदस्थ रहे प्रशासकीय अधिकारियों संभागीय उप परिवहन आयुक्त (आर.टी.ए.) एवं क्षेत्रीय/अतिरिक्त क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है।

परिवहन आयुक्त कार्यालय में वर्तमान में **श्री विजय सूर्यवंशी,** भारतीय पुलिस सेवा, अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) तथा **श्री आर.के. जैन,** भारतीय प्रशासनिक सेवा अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन), **श्री पी.के. शर्मा,** संयुक्त परिवहन आयुक्त (वित्त) के पद पर पदस्थ है। इनके अधीनस्थ संभागीय मुख्यालयों के जिलों में 10 क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, 10 जिलों में अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी एवं 31 जिलों में जिला परिवहन अधिकारी पदस्थ हैं।

02 विभाग के अधीन निगम/मंडल एवं अन्य उपक्रम :–

मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम :–

राज्य में मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन, रोड ट्रॉसपोर्ट कारपोरेशन एक्ट 1950 के तहत वर्ष 1962 में किया गया। प्रदेश के विभाजन के पश्चात् उत्तरवर्ती राज्य में दिनांक 01.01.2003 से 'मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम' अस्तित्व में आया ।

निगम के लगातार घाटे में चलने के कारण राज्य शासन द्वारा दिनांक 18.02. 2005 को निगम को बंद करने का निर्णय लिया गया है। दिनांक 01.10.2010 से निगम द्वारा संचालित यात्री वाहनों का संचालन पूर्णरूपेण बन्द कर दिया गया है। सड़क परिवहन निगम को पूर्णतः बंद करने के लिये सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार से अनापत्ति प्राप्त हो चुकी है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से अनापत्ति प्राप्त करने की प्रकिया जारी है।

03 विभाग के दायित्व

(अ) विभाग के अधिनियम एवं नियमः–

(1) मोटरयान अधिनियम, 1988,

(2) केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989,

(3) मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994,

(4) मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991,

(5) मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान नियम, 1991,

(ब) प्रमुख विभागीय दायित्वः–

(1) राजस्व संग्रहण

(2) केन्द्रीय/राज्य अधिनियमों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में वाहनों का पंजीयन, अनुज्ञा–पत्र व अनुज्ञप्तियॉ जारी करना, वाहनों का निरीक्षण, नियमन, एवं दण्ड आदि।

(3) अन्तर्राज्यीय व अन्तर्क्षेत्रीय परिवहन व्यवस्थाओं/नीतियों का निर्धारण एवं समन्वय।

(4) प्रदेश में प्रचलित मोटरयानों से हो रहे पर्यावरण प्रदूषण की जॉच, रोकथाम तथा पर्यावरण सम्बर्द्धन हेतु अन्य कार्यवाही।

(5) केन्द्र/राज्य शासन की परिवहन संबंधी सांख्यिकी आवश्यकताओं की पूर्ति।.

(6) जनहितकारी व विकेन्द्रीयकृत योजनाओं/कार्यक्रमों का संरूपण, क्रियान्वयन एवं समयानुसार उनमें परिवर्तन व संशोधन ।

(7) वर्तमान सामाजिक, आर्थिक परिवेश में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनु. जनजाति, अल्प संख्यक एवं अन्य पिछड़े वर्ग तथा कमजोर वर्गों के लिये जनहितकारी परिवहन के कार्यकलाप प्रोत्साहित कर उनके जीवन स्तर में सुधार करना ।

04 विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी

04.1 राजस्व प्राप्तियाँ

राजस्व–संग्रहण

विगत वर्षों में संग्रहित राजस्व की तुलनात्मक स्थिति निम्नानुसार रही है :–

क्र.	वर्ष	लक्ष्य (रू. करोड़ों में)	लक्ष्य के सापेक्ष में संग्रहित राजस्व प्राप्तियाँ (प्रतिशत में)	राजस्व प्राप्तियाँ (करोड़ रूपयों में)	पूर्व वर्ष से वृद्धि/कमी का प्रतिशत
01	02	03	04	05	06
01	2001–2002	435.00	90.40	393.25	(+) 10.69
02	2002–2003	519.00	82.60	428.70	(+) 9.01
03	2003–2004	541.00	84.08	454.89	(+) 6.11
04.	2004–2005	550.00	88.17	484.91	(+) 6.60
05	2005–2006	570.00	97.86	557.83	(+) 15.04
06.	2006–2007	675.00	94.09	635.09	(+) 13.83
07.	2007–2008	775.00	91.50	709.15	(+) 11.66
08.	2008–2009	800.00	96.90	775.21	(+) 9.31
09.	2009–2010	900.00	102.14	919.28	(+) 18.58
10.	2010–2011	1130.00	105.19	1188.70	(+) 29.31
11.	2011–2012	1285.00	104.91	1348.09	(+) 13.41
12.	2012–2013	1500.00	101.50	1514	(+) 12.27
13.	2013–2014	1650.00	96.85	1598.09	(+) 5.55
14.	2014–2015(प्रा.) (दिसम्बर 2014 तक)	2000.00	57.92	1158.53	(+) 11.20

वर्ष 2013–2014 में विभागीय राजस्व रूपये 1598.98 करोड़ संग्रहित किया गया है, जो पूर्ववर्ती वर्ष 2012–2013 की रूपये 1514 करोड़ से 5.55 प्रतिशत अधिक रहा। समीक्षा वर्ष 2014–15 के माह दिसम्बर 2014 तक विभाग ने राजस्व संग्रहण में 11.20 प्रतिशत वृद्धि की है।

04.2 मोटरयान पंजीयन :—विगत वर्षों में नवीन वाहनों के पंजीयन की स्थिति निम्नानुसार रही है :—

क्र.	वर्ष	नवीन पंजीकृत वाहन	पूर्व वर्ष से वृद्धि / कमी (प्रतिशत)
01	2001—2002	2,61,537	(—) 1.07
02	2002—2003	3,13,349	(+) 19.81
03	2003—2004	3,63,765	(+) 16.09
04	2004—2005	4,01,607	(+) 10.40
05	2005—2006	4,28,265	(+) 6.64
06	2006—2007	4,73,184	(+) 10.49
07	2007—2008	5,00,454	(+) 5.76
08.	2008—2009	5,13,848	(+) 2.68
09.	2009—2010	6,23,508	(+) 21.34
10.	2010—2011	8,13,628	(+) 30.49
11.	2011—2012	8,59,397	(+) 5.62
12.	2012—2013	6,67,053	(—) 22.38
13.	2013—2014	9,11,268	(+) 36.60
14.	2014—2015 (प्रा.) (दिसम्बर 2014 तक)	11,73,321	(+) 78.10

(1) वित्तीय वर्ष 2014—2015 (दिसम्बर 2014 तक) में प्रदेश के समस्त परिवहन कार्यालयों में 1173321 (प्रा.) नवीन मोटरयान पंजीकृत हुये हैं, जो पूर्ववर्ती वर्ष के इसी अवधि में पंजीकृत वाहनों की संख्या 6,58,777 से 78.10 प्रतिशत अधिक हैं ।

(2) 31 मार्च 2013 तक विभाग में 87,60,039 कुल पंजीकृत मोटरयान थे, जिसमें मालयान 2,17,618 बड़ी बसें 22,441 मिनी बसें 1,09,564 तीन पहिया एवं मोटर केव (यात्रीयान) 1,14,440, द्विपहिया यान 64,11,155 कार एवं जीप 4,75,841, ट्रैक्टर ट्रॉली 7,69,148 एवं अन्य वाहन 20,809 हैं। जबकि 31 मार्च 2014 की स्थिति में 97,21,625 कुल पंजीकृत मोटरयान हुए, जिसमें मालयान 2,63,039, बड़ी बसें 26,384, मिनी बसें 1,28,985, तीन पहिया एवं मोटर केव (यात्रीयान)

1,15,562, द्विपहिया यान 76,68,303, कार एवं जीप 6,11,082, ट्रैक्टर ट्रॉली 8,46,779 एवं अन्य वाहन 25,491 है। प्रदेश में सड़क पर चल रहे वाहन 31 मार्च 2013 की स्थिति में 83.55 लाख से 31 मार्च 2014 तक बढ़कर 93.57 लाख हो गये, जिसमें मालयान 2.31 यात्रीयान 1.04 एवं अन्य वाहन 96.65 लाख हैं।

04.3 अनुज्ञा–पत्रों का निर्गमन :–

(1) स्थाई अनुज्ञा–पत्र :–

केन्द्र/राज्य शासन की माल परिवहन नीति के अन्तर्गत पूर्ववर्ती वर्षो के अन्तराल में मालयानों की राज्यीय व राष्ट्रीय–निर्गमित व वैध अनुज्ञायें निम्नानुसार रही है :–

क्र.	अनुज्ञापत्र का प्रकार	निर्गमित अनुज्ञायें		वैध अनुज्ञायें	
		2012 –2013	2013 –2014(प्रा.)	2012 –2013	2013 (मार्च 2014 तक)
		–2014 (प्रा.)	(मार्च 2014 तक)		
01	राज्यीय	29274	25927	245145	346685
02	राष्ट्रीय	12627	10409	144395	155448
	योग	**41901**	**36336**	**389540**	**502133**

दर्शाई गई तालिकाओं से स्पष्ट है कि समीक्षावधि में नवीन मालयान अनुज्ञायें 36336 तथा 502133 वैध अनुज्ञायें प्रतिवेदित हैं ।

वर्ष 2013–2014 में यात्रीयान के 1085 स्थाई अनुज्ञापत्र निर्गमित हुए तथा 14962 वैध अनुज्ञायें हैं । वर्ष 2013–2014 में राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा राजस्थान–06 महाराष्ट्र–14, उत्तरप्रदेश–06 व छत्तीसगढ के 04 इस प्रकार कुल 30

स्थाई अनुज्ञायें निर्गमित की गई। इसी क्रम में अस्थाई अनुज्ञायें राजस्थान–632 महाराष्ट्र–535, उत्तरप्रदेश–208, गुजरात–195 एवं छत्तीसगढ़ राज्य से–162 कुल 1732 निर्गमित हुई । वर्ष 2014–2015 (दिसम्बर 2014 तक) की अवधि मे कुल 49 स्थाई अनुज्ञापत्र जारी हुए तथा 1170 अस्थाई अनुज्ञापत्र विभिन्न प्रदेशों को जारी किये गये हैं। ऑल इण्डिया परमिट के 41 अनुज्ञापत्र जारी किये गये हैं।

(2) अस्थाई अनुज्ञापत्र :–

यात्रियों एवं माल परिवहन की आकस्मिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये, परिवहन विभाग यानों की अस्थाई अनुज्ञाएँ निर्गमित करता है । विगत वर्षो में निर्गमित की गई अस्थाई अनुज्ञायें निम्नानुसार रही हैं :–

क्र.	अस्थाई अनुज्ञायें	निर्गमित 2012–2013	निर्गमित 2013–2014	अनुज्ञा–पत्र 2014–2015(प्रा.) (दिसम्बर 2014 तक)
01	यात्रीयान अनुज्ञायें	227564	231285	196505
02	मालयान अनुज्ञायें	18731	28857	12534
	योग	**270152**	**260142**	**209039**

राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा वर्ष 2013–2014 में कुल 1732 अस्थाई अनुज्ञाएँ विभिन्न प्रदेशों के लिये जारी की गई हैं। जो कि वर्ष 2014–15 (दिसम्बर 2014 तक) कुल – 1170 अस्थाई अनुज्ञाएँ जारी की गई हैं।

04.4 अनुज्ञप्तियों का निर्गमन :–

विभाग में व्यावसायिक व गैर व्यावसायिक वाहनों के सापेक्ष में चालक एवं परिचालक अनुज्ञप्तियाँ आवश्यक परीक्षणोपरान्त निर्गमित करने का प्रावधान है ।

परिवहन विभाग में निर्गमित अनुज्ञप्तियों का विवरण निम्नानुसार रहा है :–

क्र.	अनुज्ञप्ति का प्रकार	वर्ष 2012–2013	2013–2014	2014–2015(प्रा.) (दिसम्बर 2014 तक)
निर्गमन				
01	चालक अनुज्ञप्तियाँ	588908	587588	419267
02	परिचालक अनुज्ञप्तियाँ	916	887	592
	वैधता (वर्षान्त पर)			
03	चालक वैध अनुज्ञप्तियाँ	5482825	6128927	6548194
04	परिचालक वैध अनुज्ञप्तियाँ	65202	66081	66673

केन्द्रीय/राज्य अधिनियमों/नियमों में विहित प्रावधानों के अनुरूप **"चालक प्रशिक्षण संस्थाओं"** को भी अनुज्ञप्तियाँ विभाग द्वारा निर्गमित की जाती है । वर्ष 2013–2014 में 11 नवीन चालक प्रशिक्षण संस्थाओं के अनुज्ञप्तियाँ जारी की गई तथा मार्च 2014 तक प्रदेश में इन वैध संस्थाओं की संख्या 182 है।

विभाग द्वारा वर्ष 2013–2014 में 909 अन्तर्राष्ट्रीय चालक अनुज्ञप्तियाँ जारी की गई । प्रदेश में वाहनों के प्रदूषण जॉच केन्द्रों की संख्या 31 मार्च–2014 तक 74 वाहन प्रदूषण केन्द्र संचालित हैं ।

05 प्रमुख विशेषताएँ

05.1 राजस्व संग्रहण एवं बकाया राजस्व

(1) विभागीय राजस्व वर्ष 2013–2014 में 5.66 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2014–2015 के माह दिसम्बर 2014 तक राजस्व में वृद्धि 11.61 प्रतिशत है।

(2) सर्वाधिक राजस्व संग्रहण इन्दौर कार्यालय द्वारा किया गया है ।

(3) वर्ष 2014–2015 माह दिसम्बर 2014 तक परिवहन चैकपोस्ट द्वारा संग्रहित राजस्व, का विभागीय कुल राजस्व प्राप्तियों में 9.04 प्रतिशत योगदान रहा ।

05.2 मोटरयानों का पंजीयन

(1) नवीन मोटरयानों का पंजीयन वर्ष 2013–2014 में 36.60 प्रतिशत अधिक था, परन्तु वर्ष 2014–2015 के माह दिसम्बर 2014 में नवीन मोटरयानों के पंजीयन में 28.75 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

(2) नवीन वाहनों का सर्वाधिक पंजीकरण क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय इन्दौर में हुआ है ।

(3) 31 मार्च 2014 तक प्रदेश में 97.21 लाख कुल पंजीकृत वाहन हैं।

(4) 31 मार्च 2014 तक सड़क पर चल रहे वाहनों की संख्या 93.57 लाख रही ।

(5) प्रदेश में महिलाओं के स्वामित्व की 83127 नवीन वाहनें, वर्ष 2013–2014 में पंजीकृत हुई ।

05.3 अनुज्ञा–पत्रों का निर्गमन

(1) वर्ष 2013–2014 में मालयानों के स्थाई अनुज्ञा–पत्र राज्यीय 25927 एवं राष्ट्रीय अनुज्ञा–पत्र 10409 निर्गमित हुए ।

(2) 31 मार्च–2014 तक मालयानों के राज्यीय 3,46,685 एवं राष्ट्रीय अनुज्ञा–पत्र 1,55,448 वैध पाये गये ।

(3) वर्ष 2013–2014 में समस्त मालयानों के 28,857 अस्थाई मालयान अनुज्ञाएँ निर्गमित की गई। समीक्षावधि 2014–2015 के माह दिसम्बर 2014 तक में मालयानों की अस्थाई अनुज्ञायें निर्गमित हुई हैं ।

(4) वर्ष 2013–2014 में राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा जारी 30 स्थाई अनुज्ञाओं में से सर्वाधिक 21 अनुज्ञायें राजस्थान व 04 अनुज्ञायें उत्तरप्रदेश राज्य के लिये जारी की गई हैं।

(5) राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा कुल जारी अस्थाई यात्री अनुज्ञायें 1740 निजी प्रचालकों को, जिसमें सर्वाधिक महाराष्ट्र राज्य के लिये 633 अस्थाई यात्री अनुज्ञायें जारी की गई हैं ।

(6) प्रदेश में महानगरीय यात्री बस सेवा योजना से आच्छादित मागों की संख्या 16 एवं उनकी कुल लम्बाई 574 किलो मीटर है ।

05.4 अनुज्ञप्तियाँ

(1) वर्ष 2013–2014 में जारी चालक अनुज्ञप्तियाँ 5,87,588 में से दुपहिया यान 09. 15 प्रतिशत, हल्का मोटरयान 2.11 प्रतिशत, संयुक्त 75.05 प्रतिशत, भारी मालयान 03.79 प्रतिशत, भारी यात्रीयान 01.74 प्रतिशत एवं अन्य वाहनों के लिये 8.16 प्रतिशत निर्गमित की गई थीं। समीक्षावधि 2014–2015 माह दिसम्बर 2014 तक 419267 (प्रावधिक) चालक अनुज्ञप्तियॉ जारी हुई हैं।

(2) कुल जारी अनुज्ञप्तियों मे से 10.15 अनुज्ञप्तियॉ प्रतिशत प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार इन्दौर द्वारा जारी हुई हैं । जो कि अन्य प्राधिकारों की तुलना सर्वाधिक है।

(3) 31 मार्च 2014 तक की स्थिति में 61,28,927 स्थाई चालक अनुज्ञप्तियाँ वैध थी। 31 दिसम्बर 2014 तक वैध स्थाई चालक अनुज्ञप्तियॉ की संख्या 6548194 (प्रा) हैं।

(4) वर्ष 2013–2014 में नवीन 887 परिचालक अनुज्ञप्तियां जारी हुई । 31 मार्च 2014 तक कुल 66081 परिचालक अनुज्ञप्तियॉ प्रचलित हैं।

(5) वर्ष 2013–2014 में 11 चालक प्रशिक्षण संस्थाओं की नवीन अनुज्ञप्तियॉ जारी की गई है। 31 मार्च 2014 तक कुल 193 चालक प्रशिक्षण संस्थायें वैध हैं।

(6) वर्ष 2013–2014 की अवधि में 909 अन्तर्राष्ट्रीय चालक अनुज्ञप्तियाँ विभाग ने जारी की गईं।

(7) 31 मार्च 2014 तक वैध प्रदूषण जॉच केदों की संख्या 74 थी।

05.5 परिवहन यानों का निरीक्षण, परीक्षण एवं दण्डात्मक कार्यवाही

विभाग में प्रवर्तन अमले द्वारा गत वर्षों में की गई कार्यवाहियाँ निम्नानुसार रही हैं :–

क्र.	वर्ष	बनाये गये चालान	राजस्व (रू. हजारों में) समझौता शुल्क	मोटरयान कर	योग	वृद्धि/कमी प्रतिशत
परिवहन चैकपोस्टों द्वारा						
01	2000–2001	147184	155516	153813	309329	(+) 20.47
02	2001–2002	332948	253747	130354	384101	(+) 24.17
03	2002–2003	446924	309955	125647	435602	(+) 13.41
04	2003–2004	454972	319554	133796	453350	(+) 4.07
05	2004–2005	492568	385134	158955	544089	(+) 20.02
06	2005–2006	495748	514673	173299	687972	(+) 26.44
07	2006–2007	457634	593852	193785	787637	(+) 14.49
08	2007–2008	490799	669273	203982	873255	(+)10.87
09	2008–2009	487657	710265	199967	910232	(+) 4.23
10.	2009–2010	506852	743856	231085	974941	(+) 7.11
11.	2010–2011	516955	810652	240481	1051133	(+) 7.82
12.	2011–2012	671767	1017788	249149	1266937	(+) 20.53
13.	2012–2013	651637	289108	992144	1281252	(+) 1.13
14.	2013–2014	549261	788321	266740	1055061	(–) 17.64
15.	2014–2015 (दिसम्बर 2014 तक)	714546	812437	239330	1051767	(–) 0.31

परिवहन विभाग में राजस्व वसूली के लिये व्यापक अभियान चलाये गये, जिससे अवैध संचालित वाहनों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही कर राजस्व वृद्धि में सहयोग मिला । मैदानी अमले द्वारा पूर्ण मनोयोग से कार्य निष्पादित किया गया।

योजनायें

वर्ष 2013–2014 में यात्री एवं माल वाहनों के अवैध संचालन की रोकथाम हेतु प्रदेश में परिवहन जॉच चौकियों द्वारा कार्यवाही की गई, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

(1) समीक्षावधि (2013–2014) में परिवहन जाँच चौकियों द्वारा मोटरयानों के **"अवैध संचालन"** के परिप्रेक्ष्य में :–

(अ) परिवहन जॉच चौकियों द्वारा 1269 विभिन्न वाहनों के चालान किये गए। इनमें बीडीओ कोच–02, साधारण बस–40, मिनीबस/मेटाडोर/एल.जी.व्ही.–208, टेम्पो एवं टैक्सी 271, टैक्सी–104, ट्रक 624 तथा 20 अन्य वाहनों के है। सर्वाधिक 624 (49.17 प्रतिशत) चालान मालयान से संबंधित हैं ।

(ब) परिवहन जांच चौकियों द्वारा अवैध संचालन से कुल अर्जित राजस्व रूपये 12. 66 करोड़ हैं ।

(स) परिवहन जांच चौकियों पर 10 वाहनों को जप्त किया गया।

(2) वर्ष 2013–2014 में परिवहन जाँच चौकियों द्वारा 549261 चालान कर रुपये 105.50 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया है।

(3) सर्वाधिक राजस्व संग्रहण (वर्ष 2013–2014) में परिवहन जाँच चौकी सेंधवा (बाल समुन्द) रु. 28.67 करोड़, नयागाँव रु. 12.40 करोड़, शाहपुर फाटा रु. 8.91 करोड़, खवासा रु. 9.64 करोड एवं मुल्ताई में रु. 8.07 करोड़ हैं ।

(4) वर्ष 2013–2014 में 140972 वाहनों के उपयुक्तता प्रमाण–पत्र जारी किये गये थे, वर्ष 2014–15 के माह दिसम्बर 2014 तक 237432 उपयुक्तता प्रमाण पत्र जारी हुए है।

(5) मध्यप्रदेश प्रदूषण मण्डल भोपाल द्वारा वाहनों के उत्सर्जन से हो रहे प्रदूषण की रोकथाम हेतु वर्ष 2013–2014 में मध्यप्रदेश के 26 नगरों में 15473 वाहनों का निरीक्षण कर 6.13 प्रतिशत वाहनों को सीमा से अधिक प्रदूषण उत्सर्जक घोषित किया गया ।

(6) वर्ष 2013–2014 में सर्वाधिक प्रदूषण नगर में डीजल चलित वाहनों में, मुरैना में 60.4 प्रतिशत वाहनों में पाया गया है । सबसे कम प्रदूषण पीथमपुर व शहडोल शहरों में क्रमशः 1.4 व 7.09 प्रतिशत पाया गया ।

(7) प्रदेश में प्रदूषण फैलाने वाले वाहन 6.13 प्रतिशत पाये गये।

(8) वर्ष 2013–2014 में विभाग में 31 मार्च 2014 तक 70 प्रदूषण जॉच केन्द्र वैध हैं ।

05.6 महिला नीति के अन्तर्गत पंजीकृत वाहन एवं निर्गमित चालक अनुज्ञप्तियाँ

(1) वर्ष 2013–2014 में महिलाओं के स्वामित्व की 83127 नवीन वाहनें पंजीकृत हुईं ।
(2) इनमें से 4.70 प्रतिशत (3768) परिवहन यान तथा 95.30 प्रतिशत (79359) गैर परिवहन यान दर्ज है ।
(3) वर्ष 2013–2014 में 60225 स्थाई चालक अनुज्ञप्तियाँ महिलाओं के लिये जारी की गई हैं ।
(4) वर्ष 2013–2014 में कुल निर्गमित अनुज्ञप्तियाँ 623062 में महिलाओं को 9.39 प्रतिशत (60225) जारी हुई हैं ।
(5) वर्ष 2013–2014 में कुल नवीन पंजीकृत वाहनों 911213 के सापेक्ष में 6.42 प्रतिशत (58545) चालक अनुज्ञप्तियाँ महिलाओं को जारी की गईं ।
(6) सर्वाधिक 10.39 प्रतिशत चालक अनुज्ञप्तियाँ भोपाल तथा सर्वाधिक नवीन पंजीयन 14.11 प्रतिशत इंदौर में किया गया है ।
(7) वर्ष 2013–2014 में नवीन पंजीकृत वाहन 911268 में महिलाओं के स्वामित्व की 93127 (8.35 प्रतिशत) पंजीकृत हुई है।

06 महत्वपूर्ण सांख्यिकी

(1) मध्यप्रदेश में वर्ष 2014–2015 (माह दिसम्बर 2014 तक) पंजीकृत नवीन वाहनों की संख्या 911213 (प्रा.) है ।

(2) 31 मार्च 2014 की स्थिति में कुल पंजीकृत वाहन 97.21 लाख हैं ।

(3) वर्ष 2013–2014 में स्थाई चालक अनुज्ञप्तियाँ 587588 जारी की गई तथा 31 मार्च 2014 की स्थिति में 61.28 लाख चालक अनुज्ञप्तियाँ वैध हैं ।

(4) वर्ष 2013–2014 में नवीन वाहनों के पंजीयन में 36.60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(5) 31 मार्च 2014 की स्थिति में सड़क पर चल रहे वाहनों की संख्या 93.57 लाख हैं ।

(6) वर्ष 1970, 1980, 1990, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 एवं 2014 तक कुल पंजीकृत

मोटरयानों में से गैर परिवहन यानों का प्रतिशत क्रमशः 71.19, 80.84, 91.77, 92.53, 92.77, 93.03, 93.34, 93.59, 93.73, 93.85, 94.03, 94.12, 94.15, 94.20, 94.25, 94.30, 94.35 तथा 93.95 है।

(7) वर्ष 2013–2014 में विभागीय राजस्व प्राप्तियों में 5.66 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। समीक्षा वर्ष 2014–2015 के दिसम्बर 2014 तक राजस्व वृद्धि 3.90 प्रतिशत है।

(8) वर्ष 2013–2014 में सर्वाधिक राजस्व संग्रहण क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय इन्दौर द्वारा कुल राजस्व संग्रहण का 17.09 प्रतिशत (273.23 रू. करोड) किया गया ।

(9) सर्वाधिक नवीन वाहनों का पंजीयन 23.93 प्रतिशत (217267) इन्दौर संभाग में हुआ है।

(10) सर्वाधिक वाहन प्रदूषण मुरैना शहर की सीमा के अन्तर्गत 60.04 प्रतिशत डीजल चलित वाहनों में है।

➢ **मध्यप्रदेश के गत वर्षो की दुर्घटनाओं संबंधी जानकारी निम्नानुसार है :–**

क्र.	वर्ष	कुल दुर्घटनायें (संख्या)	कुल मृतक	कुल घायल
01.	2003	30164	4523	33375
02.	2004	32445	4703	37250
03.	2005	35123	5327	39719
04.	2006	38041	5318	42639
05.	2007	41981	6671	45225
06.	2008	43852	6670	51054
07.	2009	47267	7365	54611
08.	2010	50023	8085	56897
09.	2011	49406	7869	55545
10.	2012	50604	7968	58572

स्त्रोत :– पुलिस मुख्यालय भोपाल

भाग–दो

01 बजट (एक दृष्टि में) अप्रैल 2013 से मार्च 2014 तकः–

(रूपये हजारों में)

01.	प्राप्त बजट राशि	रूपये	1079035
02.	व्यय	रूपये	897700
03.	बजट राशि का व्यय	प्रतिशत	83.19

02. बजट राशि मदवारः–

क्र.	बजट मदवार	आवंटन (हजार रू.)	व्यय राशि (हजार रू.)	व्यय प्रतिशत
01	निर्देश/प्रशासन –	76665	51561	67.25
02	संग्रहण प्रभार –	261388	188312	72.04
		400	2	
03	प्रवर्तन –	210982	145104	67.77
04	तकनीकी –	300000	291000	97.00
अन्य	(स्मार्ट कार्ड आदि)	230000	221722	97.40
	योग	**1079035**	**897700**	**83.19**

03 बजट (एक दृष्टि में) अप्रैल 2014 से मार्च 2015 तक

(रूपये हजारों में)

01. प्राप्त बजट राशि रूपये 858530

03. बजट राशि मदवार

क्र.	बजट मदवार	आवंटन (हजार रू.)
01	निर्देश/प्रशासन –	76335
02	संग्रहण प्रभार –	259533
		400
03	प्रवर्तन –	212262
04	तकनीकी –	–
05	अन्य	50000
	(अ) इन्टीग्रेटेड़ चैक पोस्ट के लिये भू–अर्जन	30000
	(ब) स्मार्ट कार्ड योजना	230000
	योग	**858530**

भाग–तीन

01 राज्य योजनायें तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनायें :–

(अ) राज्य योजनाएँ – अन्तर्प्रांतीय सीमाओं पर एकीकृत जांच चौकियों की स्थापना ।

(ब) केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ – निरंक

(स) विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली योजनाएँ – निरंक

(द) विदेशी सहायता प्राप्त योजनाएँ/परियोजनाएँ – निरंक

(ई) अन्य योजनाएँ – निरंक

भाग–चार

सामान्य प्रशासनिक विषय

01 "जाँच समितियाँ/किये गये अध्ययन" – समीक्षावधि में न ही कोई जाँच समिति गठित की गई एवं न ही किसी भी प्रकार का अध्ययन किया गया है ।

02 प्रदेश में 10 संभागीय उप परिवहन आयुक्त कार्यालय तथा 51 जिलों में क्षेत्रीय/अतिरिक्त क्षेत्रीय/जिला परिवहन कार्यालय संचालित हैं एवं अंतर्राज्यीय सीमाओं पर 40 परिवहन जाँच चौकियाँ स्थापित हैं।

03 विभागीय जाँच :–

विभागीय जॉच शाखा में वर्ष 2014–15 (दिसम्बर 2014 तक) 21 प्रकरण दर्ज हैं जिसमें 06 प्रकरणों का निराकरण हो चुका है। शेष 15 प्रकरण लंबित हैं।

04 न्यायालयीन प्रकरण :–

विभाग में समीक्षावधि वर्ष 2014–2015 तक की स्थिति में कुल 168 प्रकरण दर्ज हैं।इनमें से 34 प्रकरण निराकृत हो चुके हैं तथा शेष 134 निराकृत होना शेष हैं।

05 पदोन्नति/अनुकम्पा नियुक्ति/क्रमोन्नति :–

समीक्षावधि 2014–2015 में प्रवर्तन अमले के 08 कर्मचारी, जिसमें परिवहन निरीक्षक से सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी की पदोन्नति दी गयी है। 11 कर्मचारियों को अनुकम्पा नियुक्त तथा 1 कर्मचारी को खेल कोटे के अंतर्गत नियुक्ति दी गई है।इसके अलावा चतुर्थ से चतुर्थ श्रेणी, चतुंर्थ से तृतीय श्रेणी व तृतीय श्रेणी से तृतीय श्रेणी के उच्च पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही की गई है।

06 स्थानान्तरण :–

2013–14 समीक्षा अवधि में 12 अधिकारियों तथा 25 कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये गये हैं।

भाग–पाँच

अभिनव योजनाऐं :–

(अ) विभाग द्वारा प्रारम्भ की गई अभिनव योजनाएँ :–

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग की कल्याणकारी योजनाओं में कर से मुक्तिः–

राज्य शासन की कल्याणकारी योजनाओं ऍ के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के ऐसे हितग्राहियों, जिनके द्वारा केन्द्र शासन एवं राज्य शासन की विभिन्न वित्तीय योजनाओं से ऋण प्राप्त कर वाहन क्रय किए हैं, ऐसे वाहनों को चार वर्ष के लिए 50 प्रतिशत वाहन कर से मुक्त रखा है जिससे इन हितग्राहियों को परिवहन व्यवसाय में स्थापित किया जा सके । हितग्राहियों को वाहन क्रय हेतु ऋण स्वीकृत करते समय ही परमिट भी जारी किया जाता है।

2. कम्प्यूटरीकरणः–

मध्यप्रदेश परिवहन विभाग में कम्प्यूटरीकरण की दिशा में पहल करते हुये विभाग की www.mptransport.org के नाम से वेबसाइट तैयार की गई है, जिस पर आम जनता की सुविधा के लिये कई जानकारियॉ अपलोड की गई है, जैसे मध्यप्रदेश परिवहन विभाग के संबंध में सामान्य जानकारी, मध्यप्रदेश परिवहन विभाग की कर/फीस संरचना, विभिन्न अपराध एवं उन पर लगाई जाने वाली शास्ति, आवेदन फार्म (डाउनलोड किये जा सकते है) प्रदेश के अधिकारियों के टेलीफोन नंबर, मोटरयान अधिनियम/नियम, महत्वपूर्ण परिपत्र/अधिसूचनाऍ, सीमावर्ती राज्यों के साथ संपादित हुये पारस्परिक यातायात करार एवं सांख्यिकी संबंधी जानकारियॉ ।

इस के साथ ही कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से जो सेवाऍ एवं सुविधाऍ भी जन साधारण को उपलब्ध कराई गई है । उनका विवरण आगे के बिंदुओं में दिया गया है।

3. ई–सेवा का प्रारम्भः–

आम नागरिकों की सुविधा के लिये देश भर में म.प्र. परिवहन विभाग में एस.एम.एस. आधारित एवम् इन्टरनेट आधारित ई–सेवा प्रारम्भ की है । इसके अंतर्गत आम जनता को एस. एम.एस. अथवा इन्टरनेट के माध्यम से किसी भी वाहन के पंजीयन, करों, परमिट आदि से संबंधित जानकारी निःशुल्क प्राप्त हो सकती हैं । यह आम जनता के लिये अत्यंत उपयोगी है तथा पुराना वाहन खरीदते समय इस सुविधा का उपयोग कर नागरिक धोखा–धड़ी से बच सकते है।

4. ऑन लाइन टैक्स पेमेन्टः–

विभाग ने 3 सितम्बर, 2007 से ऑन लाइन टैक्स पेमेण्ट पद्धति का शुभारम्भ कर दिया है । इस पद्धति से कर भुगतान करने वाले करदाताओं को पहले की तरह आर.टी.ओ.कार्यालय अथवा बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है, वे घर बैठे कम्प्यूटर के माध्यम से स्वंय या अपने प्रतिनिधि के द्वारा अपने वाहन का टैक्स जमा कर सकते है। यह पद्धति सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में सफलता पूर्वक लागू हो चुकी है तथा वर्तमान में प्रदेश में प्राप्त होने वाला परिवहन कर शत प्रतिशत ऑन लाइन टैक्स पेमेण्ट के माध्यम से प्राप्त होता है । इससे कर चोरी,फर्जी चालान जालसाजी के प्रकरणों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हुआ है ।

5. डाक सेवा के माध्यम से रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस भेजने की योजनाः–

परिवहन विभाग द्वारा विभिन्न आवेदकों को भेजे जाने वाले वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र और वाहन चालन लाइसेंसों का उपयोग बहुधा पहचान के पत्र के रूप में भी होता है । व्यक्तियों के सही पते इन प्रपत्रों में दर्ज हों तथा रजिस्ट्रेशन कार्ड और लाइसेंस प्राप्त करने के लिये व्यक्तियों को अनावश्यक रूप से कार्यालय में न भटकना पडे इस दृष्टि से दिनांक 07.01.2009 से यह योजना डाक विभाग के माध्यम से प्रारम्भ की गयी है । इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति रजिस्ट्रेशन कराते समय अथवा लाइसेंस का प्रपत्र भरते समय अपना पता लगा लिफाफा आवेदन के साथ संलग्न करता है और इसके साथ ही उसके प्रपत्र डाक से सीधे उसके घर के पते पर पहुंचते हैं । इससे आवेदकों को समय की बचत होती है।

6. लायसेंस हेतु ऑन लाइन अपॉईन्टमेंटः–

नागरिकों को लायसेंस प्राप्त करने के लिये परिवहन कार्यालय में इन्तजार न करना पड़े इस हेतु चालक लायसेंस प्राप्त करने के लिये ऑन लाईन अपॉईन्टमेंट सुविधा प्रारम्भ की गई है।

7. परिवहन नीति 2010 का निर्माणः–

प्रदेश में कुल मोटरयानों की संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। गत दस वर्षों में यह औसत वृद्धि 10.68 प्रतिशत वार्षिक की रही है। कुल 97.21 लाख पंजीकृत वाहनों में 80.52 प्रतिशत दो पहिया वाहन एवं 12.40 प्रतिशत चार एवं तीन पहिया वाहन है। प्रदेश मे व्यवसायिक वाहनों की संख्या समग्र वाहनों का 6.65 प्रतिशत है । निजी बसों (30+1 से अधिक) की संख्या 19324 है, तथा भविष्य में इनके बढ़ने की संभावना है। प्रदेश में बढ़ते हुये वाहनों की संख्या को देखते हुये आवश्यक है कि इन्हें सुचारू रूप से नियंत्रित करने के लिये नीतिगत निर्णय लिये जायें। प्रदेश के आर्थिक एवम् सामाजिक विकास के लिये परिवहन की एक समग्र दृष्टि की आवश्यकता है। तदनुसार प्रदेश की यह परिवहन नीति 2010 शासन द्वारा अनुमोदित की गयी है। इसमें निम्नलिखित बिन्दुओं को सम्मिलित किया गया है :–

01. जनहितकारी सार्वजनिक परिवहन योजना के अंतर्गत सार्वजनिक परिवहन बसों को प्रोत्साहन, माल वाहनों पर प्रभावी नियंत्रण, प्रदेश के मार्गो का विकास एवं निर्माण तथा जानमाल की सुरक्षितता बढ़ाने एवं दुर्घटनाऐं कम करने के उपाय।
02. बस व्यवस्था के अंतर्गत प्रदेश के अन्दर बसों के संचालन के लिये खुली परमिट व्यवस्था, मार्गो पर संचालकों का एकाधिकार समाप्त करना, निर्धारित मार्ग एवं समयानुसार बसों का संचालन एवं परमिट शर्तो का पालन कराया जाना।
03. ग्रामीण क्षेत्रों में यात्री परिवहन व्यवस्था सुदृढ करना ।
04. बस स्टैण्ड प्रबंध व्यवस्थित एवं सुदृढ करना ।
05. मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम के पूर्ण समापन के पूर्व बस स्टेण्ड प्रबन्ध एवं परिवहन नियमन की उचित प्रशासनिक व्यवस्थायें की जाना ।
06. माल परिवहन के अंतर्गत माल वाहनों की जॉच हेतु महानगरों में इलेक्ट्रॉनिक तौल कॉटे पी.पी.पी. मॉडल पर चेकिंग हेतु लगाये जाने एवं सीमावर्ती जॉच चौकियों पर एकीकृत एवं इलेक्ट्रॉनिक जांच चौकियों का निर्माण कराया जाना ।

07. शहरी परिवहन व्यवस्था को व्यवस्थित करना ।

08. सुरक्षितता को सुनिश्चित करना ।

09 परिवहन विभाग की अधोसंरचना व्यवस्थित करना।

10. राजस्व संग्रहण एवं कर प्रणाली का सुदृढीकरण ।

11 आधुनिक तकनीकी का समावेश तथा

12 वैकल्पिक आवागमन साधनों को विकसित करने संबंधी योजना।

8. समाज कल्याण/स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति : –

परिवहन विभाग द्वारा समाज कल्याण एवं स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिये 20 एम्बुलेंसों को विभिन्न जिले की स्वयंसेवी संस्थाओं को आवंटित किया गया है।

9. समाज के कमजोर वर्गो के उत्थान की दिशा में किये गये प्रयास/उपलब्धि–समाज के कमजोर वर्गों के हितग्राहियों को वाहन ऋण मंजूर करने के साथ ही परमिट देने की व्यवस्था:–

शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत, उद्योग विभाग अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम तथा आदिम जाति कल्याण विभाग के माध्यम से, अनुसूंचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को ऋण प्रदान किया जाता है । इसके अंतर्गत जिन व्यवसायिक वाहनों को ऋण प्रदान किया जाता है, उन्हें चार वर्ष तक 50 प्रतिशत मोटरयान कर में छूट प्रदान की जाती है। साथ ही इस हेतु निर्धारित शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत इन्हें परमिट दिया जाना सुनिश्चित किया जाता है।

इसके अतिरिक्त ऐसी नगरीय सेवा जहां मंजिली गाड़ियों की संख्या निर्धारित है, वहॉ अनुसूचित जाति के लिये 15 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति के लिये 18 प्रतिशत का आरक्षण परमिटों में दिया जाता है।

10. महिलाओं के कल्याण की दिशा में किये गये प्रयास/उपलब्धि :–

महिलाओं के लिये नीति :–

परिवहन आरक्षक के पद पर सामान्य वर्ग के 08 एवं अ.ज. के 15 व अ.ज.ज. 14 तथा पिछड़ा वर्ग के 03 कुल 40 पद सीधी भर्ती से महिलाओं द्वारा भरे गये है। महिलाओं द्वारा या विधवा महिलाओं के लिये यात्री सेवाएँ उपलब्ध कराने पर उन्हें अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने में वरीयता देने के प्रावधान नियत किये गये है। महिलाओं को यात्री वाहनों में यात्रा करने हेतु बसों में ''सीट आरक्षित'' रखने के लिये अनुज्ञा पत्रों में शर्त निर्धारित की गई है। महिला एवं बच्चों की यात्री बसों में महिला ड्रायवर एवं महिला कन्डक्टर रखे जाने को प्रोत्साहन दिये जाने की योजना है । इस योजना के अंतर्गत इन्दौर एवं भोपाल में स्कूल/कॉलेजो द्वारा संचालित वाहनों में महिला ड्रायवर एवं महिला कन्डक्टर रखे जाने के लिये संस्था के प्रवंधन से आग्रह किया गया है ।

11. विभागीय गतिविधियों, कार्यक्रमों को जनोन्मुखी बनाने हेतु विशेष प्रयास :–

विभागीय गतिविधियों, एवं जनसामान्य के उपयोग में आने वाले फार्म, प्रचलित नियमों एवं इससे संबंधित सामग्री को जनसामान्य तक पहुचाने के लिये इसे विभाग की वेबसाइट www.mptransport.org पर प्रदर्शित किया गया है।

12. कॉल सेन्टर की स्थापना :–

प्रदेश के व्यवसायिक वाहन मालिकों को वाहनों के टैक्स, परमिट, फिटनेस इत्यादि की जानकारी देने के लिये विभाग द्वारा एक कॉलसेन्टर बनाया गया है जिस पर फोन कर वाहन मालिक अपने वाहन से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकता है । परिवहन आयुक्त कार्यालय, ग्वालियर में स्थित कॉल सेन्टर के दूरभाष नम्बर 0751–2621926 तथा 9479925202 है।

13. उद्योग जगत के लिये किए गये कार्यो का उल्लेख :–

औद्योगिक क्षेत्रों में सस्ती एवं सुलभ परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से राज्य शासन द्वारा भोपाल–मण्डीदीप, ग्वालियर–मालनपुर, ग्वालियर–बामोर, इन्दौर–महू, इन्दौर–पीथमपुर, आदि मार्ग निर्धारित किये गये है, इन मार्गो पर मंजिली गाड़ी के परमिटों पर संचालित वाहनों को मोटरयान कर की रियायती दरें लागू है।

14. कॉमर्शियल वाहनों में रिफलेक्टर टेप :–

प्रदेश में व्यवसायिक वाहनों में रिफलेक्टर टेप लगाये जा रहे हैं जिससे वाहनों से होने वाली दुघर्टनाओं से बचा जा सकें।

15. ग्रामीण परिवहन सेवा :–

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये यह आवश्यक है कि वहां परिवहन के सस्ते व सुलभ साधन उपलब्ध हों। इस दिशा में कदम उठाने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य है । राज्य में ग्रामीण मार्गो पर अत्यन्त सस्ते दरों पर परमिट देने की योजना बनाई गई है । इस योजना के अंतर्गत वाहन के मानक मूल के एक प्रतिशत की दर पर ग्रामीण मार्गो पर यात्री वाहनों को परमिट दिये जा रहे है। ग्रामीण परिवहन सेवा का शुभारंभ दिनांक 22.12.2010 को किया गया है ।

16. ऑन लाईन परमिट आवेदन एवं निराकरण :–

परमिट आवेदन की प्रक्रिया एवं परमिट स्वीकृत करने की प्रकिया को त्वरित एवं पारदर्शी बनाने के लिये परमिट आवेदन ऑन लाईन प्राप्त करने की व्यवस्था बनाई गयी है। इस व्यवस्था के अंतर्गत परमिट के लिये आवेदन करने वाला व्यक्ति इन्टरनेट पर आवेदन करता है, जिसमें आवेदन दिनांक एवं समय स्वतः ही उल्लेखित हो जाते है तथा यह आवेदन इन्टरनेट पर सभी को दिखाई देने लगता है। इस आवेदन पर आपत्ति लगाने की प्रक्रिया भी इन्टरनेटर पर ही की जाती है जिससे कि लगाई गई समस्त आपत्तियॉ भी इन्टरनेट पर सभी को दिखाई दें । परमिट की सुनवाई करने वाले अधिकारी द्वारा प्रत्येक आपत्ति के निराकरण का नतीजा व अन्तिम निर्णय भी इन्टरनेट पर प्रसारित किया जाता है । इससे परमिट आवेदन से लेकर परमिट के निराकरण की प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता आ गई है तथा यह भी स्पष्ट हो जाता है कि परमिट आवेदन से लेकर निराकरण तक कितना समय परमिट जारी करने वाले अधिकारी के द्वारा लिया जा रहा है । जिससे की परमिट देने की प्रक्रिया में देरी करने वाले अधिकारियों के ऊपर बेहतर नियन्त्रण विभाग द्वारा किया जा रहा है । इससे परमिट देने की सम्पूर्ण प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी, जबावदेह एवं त्वरित हो गई है ।

17. यात्री सुरक्षा :–

यात्रियों को सुरक्षित एवं सुविधाजनक यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने के दृष्टि से म.प्र. मोटरयान नियम 1994 में माह नवम्बर 2010 में संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार राज्य

शासन द्वारा मार्गो की दूरी के आधार पर यात्री बसों के संचालन हेतु बैठक क्षमता एवं आयु का निर्धारण किया गया है, जिससे अब अन्तरप्रान्तीय मार्गो पर 10 वर्ष की आयु सीमा तक की 50 सीटर बसें संचालित हो सकेगी एवं 150 किमी से कम दूरी के मार्गो पर 15 वर्ष की आयु सीमा तक की तथा छोटी बसें ही संचालित हो सकेगी। ऐसी वाहनें जिनकी आयु 20 वर्ष पूर्ण हो चुकी है उन्हें किसी भी मार्ग का परमिट स्वीकृत नहीं किया जावेगा । इससे यात्रियों को सुरक्षित यात्रा उपलब्ध होगी । आपातकालीन द्वार, आने जाने के लिये अलग–अलग दरवाजे, चालक परिचालक वर्दी व बैज लगाने हेतु निर्देश दिये गये है।

18. कन्ट्रोल रूम की स्थापना :–

यात्री वाहनों में सफर करने वाले वाले यात्रियों की समस्याओं का निदान करने हेतु एक कन्ट्रोल रूम परिवहन आयुक्त कार्यालय, मोतीमहल ग्वालियर में स्थापित किया गया है। कन्ट्रोल रूम के नम्बर – 0751–2423105 एवं 2423113 रहेंगे। कन्ट्रोल रूम में 24 घंटे लगातार छः–छः घंटे ड्यूटी के अंतराल में कर्मचारी तैनात रहेंगे। बस में यात्रा करने वाले यात्रियों की शिकायत को सुनेंगे एवं संबंधित क्षेत्रीय/अति. क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारियों को उनके दिये गये नम्बर पर कार्यवाही करने हेतु भेजा करेंगे। कार्यवाही उपरांत रिपोर्ट कन्ट्रोल रूम में देंगे। दोनों नम्बरों को यात्री वाहनों की दोनों साइडों में लाल रंग से तथा अंदर भी लिखवाये जायें ताकि यात्री दिये गये, नम्बर पर तत्काल शिकायत दर्ज करा सकें।

19. नागरिक सूचना सेवा :–

मध्यप्रदेश के नागरिकों को त्वरित सूचना एस.एम.एस. के माध्यम से उपलबध कराये जाने का कार्य दिनांक 26.04.2011 से प्रारंभ किया गया है जिसके अंतर्गत परिवहन विभाग में आवेदक किसी भी प्रकार के कार्य जैसे – पंजीयन लायसेंस तथा परमिट आदि के जारी होने की सूचना तत्काल एस.एम.एस. के माध्यम से आवेदक को दी जा रही है।

20. कम्प्यूटराइज्ड फिटनेस सेंटर का शुभारंभ :–

दिनांक 11 नवम्बर 2011 को परिवहन विभाग की जनहित में एक और अनूठी पहल कम्प्यूटराइज्ड फिटनैस सेंटर की स्थापना प्रदेश के समस्त कार्यालयों में लागू कर दी गई है।

21. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत परिवहन विभाग की उपलब्ध सेवाएँ

आम नागरिकों को परिवहन विभाग से संबंधित अत्यन्त आवश्यक सेवाएँ समय सीमा में देने हेतु निम्न 03 सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अधीन लिया गया है। इन सेवाओं को मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 22–43/2011/आठ भोपाल दिनांक 24.11.11 द्वारा शामिल कर आरटीओ को पदाभिहीत अधिकारी तथा संबंधित जिले कलेक्टर एवं संभागायुक्त को क्रमशः प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी अधिसूचित किया गया है।

1. लर्निंग ड्रायविंग लायसेंस जारी करना – काम की समय सीमा 10 कार्य दिवस।
2. वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करना – काम की समय सीमा 15 कार्य दिवस।
3. वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करना – काम की समय सीमा 30 कार्य दिवस।

22. इनरोलमेंट डीलर पॉईन्ट इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन

डीलर पॉईन्ट इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन व्यवस्था में नागरिकों को बाहन खरीदने के पश्चात् रजिस्ट्रेशन से संबंधित सभी सुविधाऐं डीलर के पास ही उपलब्ध हो जायेंगी। परिवहन विभाग द्वारा डीलर्स हेतु इन्टरनेट आधारित अत्याधुनिक कम्प्यूटरीकृत प्रणाली विकसित की गई है, जिसमें वाहन विक्रेताओं को विभाग द्वारा वाहन रजिस्ट्रेशन के समस्त प्रपत्रों की जानकारी नेट पर डालना है एवं मूल फाईल कार्यालय में भेजना है, निर्धारित अवधि में पंजीयन प्रमाण–पत्र डाक द्वारा भेजा जाता है। इसके अंतर्गत वाहन विक्रेता अपने ग्राहकों को त्वरित और बेहतर सेवा प्रदान कर पायेंगे। इससे नागरिकों को

1. टेक्स भुगतान के लिये बैंक जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
2. एस.एम.एस. द्वारा पंजीयन सूचना भेजी जा रही है।
3. वाहन मालिकों को उसका स्मार्ट रजिस्ट्रेशन कार्ड उनके द्वारा दर्शाये गये पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जा रहा है।

(ब) **विभाग द्वारा संचालन हेतु प्रस्तावित योजनायें :–**

राजस्व लक्ष्य :–

– वर्ष 2014–2015 के लिए राजस्व संग्रहण के लिए रूपये 2000 करोड़ का लक्ष्य आंबटित किया गया है।

विभागीय प्राथमिकताऐं :–

–पारदर्शी परिवहन विभाग की स्थापना ।

–एकीकृत जांच चौकियों की स्थापना।

–प्रदेश दूरस्थ अंचलों तथा नगरों के उचित परिवहन व्यवस्था का प्रदाय ।

– यात्री सुरक्षा

कम्प्यूटरीकृत तथा एकीकृत जॉच चौकियॉ :–

– प्रदेश में वर्तमान अंतर्राज्यीय सीमाओं पर कुल 40 परिवहन जॉच चौकियॉ संचालित है जिनमें से 24 परिवहन जॉच चौकियों को अपग्रेड कर एकीकृत कम्प्यूटरीकृत जॉच चौकी के रूप में निर्माण किया जा रहा है । प्रदेश में जॉच चौकियां स्थापित करने वाले सभी विभागों को एक छत के तले लाकर एकीकृत जॉच चौकियॉ स्थापित करने का निर्णय लिया गया हैं । इनमें परिवहन विभाग के अतिरिक्त वाणिज्यकर कर विभाग, वन विभाग, खनिज विभाग, कृषि विभाग एवं परिवहन विभाग का अमला एक साथ एकीकृत चौकी परिसर में पृथक पृथक काउन्टरों पर बैठकर अपनी जॉच कार्य करता है। इससे वाहनों को जगह जगह नही रुकना पड़ता और वाहन चालकों को भी कोई कठिनाई नहीं होती। इसके साथ ही परिवहन जॉच चौकियों को कम्प्यूटरीकृत जॉच चौकी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है इससे तौल कॉटे, इलेक्ट्रोनिक तौल कॉटे के रूप में तब्दील हो गये है जिससे पारदर्शीपूर्ण तरीके से वाहन के ओवर लोडिंग पर अंकुश लग सकेगा । 24 एकीकृत जॉच चौकियों में से अभी तक 10 एकीकृत जॉच चौकियॉ प्रारंभ कर दी गई हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:–

1	Agra Mumbai Road (Balsamund)	Started on 26 April 2013,
2	Indore Ahmadabad Road (Pitol)	Started on 26 April 2013
3	Shivpuri Kota Road (Kharai Padora)	Started on 01 September 2013,
4	Betul Nagpur Road (Multai)	Started on 21 October 2013,
5	Indore Icchapur Road (Shahpurphata)	Started on 17 November 2013,

6	Mhow Neemuch Road (Nayagaon)	Started on 27 January 2014,
7	Jabalpur Jaipur Road (Khilchipur)	Started on 31 March 2014,
8	Seoni Nagpur Road (Khawasa)	Started on 12 July 2014,
9	Kabir Chabutra on Dindori Amarkantak Road (Kabir Chabutra)	Started on 30 November 2014,
10	Chhindwara Nagpur Road (Sausar)	Started on 26 November 2014,

आधुनिक चालक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना :–

– केन्द्र शासन के सहयोग से इन्दौर में राज्य स्तरीय चालक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है। इसका निर्माण एवं संचालन तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत आई.टी. आई. इन्दौर द्वारा किया जा रहा है। इस केन्द्र में भारी वाहन चालकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आ सके। केन्द्र सरकार द्वारा जिला छिंदवाड़ा में नवीन चालक प्रशिक्षण केन्द्र स्वीकृत किया गया है।

भाग–छः

विभागीय प्रकाशन :–

विभाग द्वारा वर्ष के दौरान **"मध्यप्रदेश के मोटर परिवहन आँकड़े, वर्ष 2013–2014"** का कार्यालयीन उपयोग हेतु प्रकाशन किया जा रहा है–

भाग–सात

सारांश :–

1. वर्ष 2013–2014 तक प्रदेश में कुल 97.21 लाख मोटरयान पंजीबद्ध हैं। इनमें से 8.87 प्रतिशत परिवहन यान तथा 91.12 प्रतिशत गैर परिवहन यान हैं।
2. वर्ष 2014–2015 के माह दिसम्बर 2014 तक राजस्व संग्रहण में 11.20 प्रतिशत वृद्धि रही जो उल्लेखनीय उपलब्धि है ।
3. वर्ष 2014–2015 के माह दिसम्बर 2014 तक वाहनों के पंजीयन में 78.10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

4. वर्ष 2013–2014 के दौरान पंजीबद्ध वाहनों में 9.12 प्रतिशत महिलाओं के स्वामित्व की नवीन वाहनें हैं।

5. अवैध संचालन की रोकथाम हेतु प्रदेश में सतत् अभियानों का संचालन किया गया। वर्ष 2014–2015 के माह दिसम्बर 2014 के अंत तक परिवहन जॉच चौकियों द्वारा रू. 105.17 करोड़ का राजस्व संग्रहण किया गया है।

6. प्रदेश के समस्त जिला कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत किया जाकर समस्त वाहन चालन स्थाई लायसेंस एवं वाहन पंजीयन प्रमाण स्मार्ट कार्ड में दिये जा रहे है। ऑन लाईन टैक्स पेमेन्ट तथा अनुज्ञा पत्रों को भी ऑन लाईन कर दिया गया है ।

7. प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में 24 एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक तौल कॉटों की स्थापना रु. 1150.00 करोड़ की लागत से जन निजी भागीदारी योजना (PPP) से की जा रही है। इसके लिये म.प्र. सड़क विकास निगम क्रियान्वयन एजेंसी हैं।

8. विभाग द्वारा नई ग्रामीण परिवहन नीति लागू की गई है जिससे ग्रामीण यात्रियों को सुरक्षित एवं सुविधाजनक परिवहन सुविधाएँ मिल सकेंगी। ग्रामीण परिवहन के व्यवसाय को आकर्षक बनाने के लिये ग्रामीण अंचलों में संचालित वाहनों का परमिट शुल्क मानक मूल्य का एक प्रतिशत कर के रूप में लिया जायेगा। साथ ही मार्गों की दूरी के आधार पर बैठक क्षमता एवं वाहनों की अधिकतम आयु का भी निर्धारण किया गया है।

9. यात्रियों को सुरक्षित, निरापद तथा सुविधाजनक परिवहन सेवाएँ उपलब्ध कराने हेतु म.प्र. के मोटरयान नियम, 1994 के नियम–77 के उप नियम–1 में संशोधन किया गया है।

संभागीय एवं जिला मुख्यालय में पदस्थ उपपरिवहन आयुक्त (आर.टी.ए.) क्षेत्रीय/अतिरिक्त क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी

01. संभागीय उप परिवहन आयुक्त (आर.टी.ए.)		
क्र.	नाम अधिकारी	पदस्थापना
01.	श्री अंजय कुमार गुप्ता	प्रभारी भोपाल संभाग
02.	श्री एम.एस. डी कनौडिया	इन्दौर संभाग
03.	श्री एम.एस. डी कनौडिया	प्रभार उज्जैन संभाग
04.	श्री संजय सोनी	सागर संभाग
05.	श्री अश्विनी कुमार रावत (रा.प्र.से)	प्रभार जबलपुर संभाग
06.	श्री एच.के. मुदगल	ग्वालियर संभाग
07.	श्री एच.के. मुदगल	प्रभार चम्बल संभाग
08.	श्री आर.पी. तिवारी	रीवा संभाग
09.	श्री अश्विनी कुमार रावत (रा.प्र.से)	(प्रभार)शहडोल संभाग
10.	श्री संजय सोनी	प्रभार होशगांबाद संभाग

02. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी			03. अतिक्षेत्रीय परिवहन अधिकारी		
क्र.	नाम	पदस्थापना	क्र.	नाम	पदस्थपना
01.	श्री अजय कुमार गुप्ता	भोपाल	01.	श्री एच.के. सिंह	(प्रभार) मंदसौर
02.	श्री एम.पी. सिंह	इन्दौर	02.	श्री अनिरूद्ध सिंह	सतना
03.	श्री अशोक निगम	ग्वालियर	03.	श्री अम्बिका प्रसाद श्रीवास्तव	(प्रभार) धार
04.	श्री शैलेन्द्र निगम	उज्जैन	04.	श्रीमती मधु सिंह	गुना
05.	श्री जितेन्द्र सिंह रघुवंशी	सागर	05.	श्री संतोष पाल	(प्रभार) सिवनी
06.	श्री एस.पी.एस. चौहान	मुरैना	06.	श्री सुनील गौड़ प्रभारी	(प्रभार) खरगौन
07.	श्री अश्विनी कुमार रावत (रा.प्र.से)	जबलपुर	07.	श्री विनोद श्रीवास्तव	छिन्दवाडा
08.	श्री सुनील राय सक्सेना	होशंगाबाद	08.	श्री रामलाल बरेलिया	छतरपुर
09.	श्री बीरेन्द्र सिंह	रीवा	09.	श्री सुनील गौड़	खण्डवा
10.	श्रीमती रत्नाकर उईके	शहडोल	10.		

04. जिला परिवहन अधिकारी

क्र.	नाम	पदस्थापना	क्र.	नाम	पदस्थापना
01.	श्री सतीश कुमार मालवीय	(प्रभार) रायसेन	17.	श्री विक्रम सिंह राठौर	भिण्ड
02.	श्री यतेन्द्र सिंह सेंगर	बैतूल	18.	श्री रामदास दक्ष	(प्रभार) मण्डला
03.	श्री विपिन कान्त मिश्रा	राजगढ़	19.	श्री देवेश बाथम	टीकमगढ़
04.	श्री जगदीश मीणा	रतलाम	20.	श्री अशोक बाबू कैबरे	श्योपुर
05.	श्री राजेश गुप्ता	विदिशा	21.	श्री मणीराज साकेत	हरदा
06.	श्री मनोज कुमार तेहनगुरिया	देवास	22.	श्री सुरेन्द्र बडौनिया	डिण्डोरी
07.	श्री ज्ञानेन्द्र वैश्य	शाजापुर	23	श्रीमती रमा दुबे	उमरिया
08.	श्री रामदास दक्ष	बालाघाट	24.	श्री एच.के. सिंह	नीमच
09	श्री संतोष पाल	नरसिंहपुर	25.	श्री जगदीश प्रसाद बिल्लौरे	(प्रभार) बडवानी
10.	श्री विक्रमजीत सिंह कंग	शिवपुरी	26.	श्री विमलेश कुमार गुप्ता	अनूपपुर
11.	श्री श्यामलाल बरेलिया	(प्रभार) पन्ना	27.	श्री सूर्यकांत त्रिपाठी	सिंगरोली
12.	श्री ए.पी. श्रीवास्तव	झाबुआ	28.	सु. श्री रंजना भदौरिया	अशोकनगर
13.	श्री एच.एल. सिमरिया (प्रभारी)	दमोह	29.	श्री सुरेन्द्र सिंह गौतम	बुरहानपुर
14.	श्रीमती अनपा खान	दतिया	30.	श्री जगदीश प्रसाद बिल्लौरे	अलीराजपुर
15.	श्री अनिरूद्व सिंह	(प्रभार) सीधी	31.	श्रीमती निशा चौहान	आगर
16.	श्री प्रदीप कुमार शर्मा	सीहोर			

प्रदेश में परिवहन चौकियाँ

स. क्र.	परिवहन चौकी	मार्ग	जिला	कार्यालय
01.	अदनानाका	अकोला–बैतूल	बैतूल	बैतूल
02.	बघाना	नीमच–बांसवाड़ा	मंदसौर	मंदसौर
03.	बालसमुंद	मुम्बई–आगरा	बड़वानी	बड़वानी
04.	चिरूला	झांसी–ग्वालियर	दतिया	दतिया
05.	चाकघाट	रीवा–इलाहाबाद	रीवा	रीवा
06.	हनुमना	मिर्जापुर–रीवा	रीवा	रीवा
07.	जमालपुरा	मंदसौर–प्रतापगढ़	मंदसौर	मंदसौर
08.	कबीरचबूतरा	अमरकंटक–बिलासपुर	डिण्डोरी	डिण्डोरी
09.	खिलचीपुर	जयपुर–भोपाल	राजगढ़	राजगढ़
10.	खवासा	जबलपुर–नागपुर	सिवनी	सिवनी
11.	कैमाहा	कानपुर–छतरपुर	छतरपुर	छतरपुर
12.	लोनी	खण्डवा–एदलाबाद	बुरहानपुर	बुरहानपुर
13.	लोड़ी	छतरपुर–महोबा	छतरपुर	छतरपुर
14.	मुरैना	आगरा–मुम्बई	मुरैना	मुरैना
15.	मुलताई	नागपुर–भोपाल	बैतूल	बैतूल
16.	मालथौन	झांसी–सागर	सागर	सागर
17.	मोरवा	सिंगरोली–मिर्जापुर	सिंगरौली	सिंगरोली
18.	मझगवां	चित्रकूट–इलाहाबाद	सतना	सतना
19.	मोतीनाला	डिण्डोरी–राजनांदगांव	मण्डला	मण्डला
20.	नयागांव	चित्तौड़गढ़	नीमच	नीमच
21.	निवाली	सैंधवा–खेतिया	बड़वानी	बड़वानी

प्रदेश में परिवहन चौकियाँ

स. क्र.	परिवहन चौकी	मार्ग	जिला	कार्यालय
22.	खरई–पडोरा	शिवपुरी–बासवाड़ा	शिवपुरी	शिवपुरी
23.	फूफ (मालनपुर)	इटावा–भिण्ड	भिण्ड	भिण्ड
24.	पहाड़ीबंधा	झांसी–छतरपुर	छतरपुर	छतरपुर
25.	पिटोल	अहमदाबाद–इंदौर	झाबुआ	झाबुआ
26.	पिपलोदा	रतलाम–प्रतापगढ़	रतलाम	रतलाम
27.	रजेगांव	गोंदिया–भोपाल	बालाघाट	बालाघाट
28.	रामनगर तिराहा	मनेन्द्रगढ़–शहडोल	अनूपपुर	अनूपपुर
29.	सालेटेकरी	बालाघाट–राजनांदगांव	बालाघाट	बालाघाट
30.	सिकंदरा	झांसी–शिवपुरी	शिवपुरी	शिवपुरी
31.	शाहपुरफाटा	खण्डवा–जलगांव	बुरहानपुर	बुरहानपुर
32.	सोयत	जयपुर–इन्दौर	आगर-मालवा	आगर मालवा
33.	सौंसर	नागपुर–छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा
34.	सैलाना	रतलाम–बांसवाड़ा	रतलाम	रतलाम
35.	उमरथाना	बीनागंज–झालावाड़	गुना	गुना
36.	वैंकटनगर	शहडोल–पेंट्रारोड	अनूपपुर	अनूपपुर
37	चाँदपुर	अलीराजपुर–छोटाउदयपुर	अलीराजपुर	अलीराजपुर
38.	थांदला	थांदला–लीमड़ी	झाबुआ	झाबुआ
39.	बोनकट्टा	कटंगी–तुमसर	बालाघाट	बालाघाट
40.	लेदी चौराहा	भानपुरा–रामगंजमंडी भानपुर–झालावाडरोड	मंदसौर	मंदसौर

टीप – शासन के आदेशानुसार नवीन अस्थाई चैक पोस्ट सेंधवा वार्डर (बिजासन घाट) पर स्थापित किया गया है ।

विभागीय संरचना

स. क्रं.	पद नाम	स्वीकृत पद	नवीन स्वीकृत पद	कुल पद
1	2	3	4	5
1.	परिवहन आयुक्त	01	—	01
2.	अपर परिवहन आयुक्त(प्रवर्तन)	01	—	01
3.	संयुक्त परिवहन आयुक्त(प्रशासन / वित्त)	02	—	02
4.	संभागीय उप परिवहन आयुक्त(आर.टी.ए.)	—	10	10
5.	सहा0परिवहन आयुक्त / क्षेत्रीय / अति. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी / वरिष्ठ जिला परि. अधिकारी	30	11	41
6.	सांख्यिकी अधिकारी	01	—	01
7.	आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी	01	—	01
8.	सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी	34	30	64
9.	परिवहन निरीक्षक	55	15	70
10.	मोटरयान परिवहन निरीक्षक(एम.व्ही.आई.)	—	15	15
11.	मोटरयान परिवहन उप निरीक्षक(एम.व्ही. एस.आई.)	—	35	35
12.	परिवहन उप निरीक्षक	72	30	102
13.	सहायक परिवहन उप निरीक्षक	22	12	34
14.	प्रधान आरक्षक	88	32	120
15.	आरक्षक	206	136	342
16.	वाहन चालक	39	—	39
17.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	05	—	05
18.	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	08	08	16
19.	अधीक्षक	11	02	13
20.	सहायक अधीक्षक / वरिष्ठ अंकेक्षक	13	03	16
21.	सहायक वर्ग–1	32	—	32

22.	शीघ्रलेखक	10	—	10
23.	लेखापाल / कनिष्ठ अंकेक्षक	36	—	36
24.	सहायक वर्ग–2	168	—	168
25.	सहायक वर्ग–तीन	275	10	285
26.	स्टेनो टायपिस्ट	08	—	08
27.	मानचित्रकार	01	—	01
28.	सांख्यिकी सहायक	02	—	02
29.	अन्वेषक	02	—	02
30.	संगणक	10	—	10
31.	जमादार	01	—	01
32.	दफ्तरी	09	—	09
33.	भृत्य / प्रोसेस सर्वर	142	—	142
34.	दैनिक वेतनभोगी	64	—	64
	योग :–	1349	349	1698

————————*****————————

शाकेमुभो—194—लेअक्षेपकाभो—16-7-15—500.